



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-रकीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक.एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/662-694 दिनांक: 30.01.2023

जिला कलक्टर,
एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत "शहरों के सौन्दर्यकरण" करवाये जाने बाबत।

प्रसंग:- मुख्य सचिव महोदया की विडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 28.01.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 28.01.2023 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरों के सौन्दर्यकरण बाबत जिले के अन्तर्गत समस्त निकायो की कार्य योजना जिसमें विभागीय समसंख्यक पत्रांक 608-640 दिनांक 25.01.2023 में शहरी सौन्दर्यकरण हेतु अंकित स्थायी प्रकृति के कार्यों एवं जिला स्तर पर अन्य चिन्हित कार्यों की कार्य योजना अविलम्ब तैयार की जाकर कार्यों का क्रियान्वयन करावें।

माननीय मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 01.02.2023 से 31.03.2023 तक जिलों में शहरी सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जिलेवार राज्य स्तर पर समीक्षा की जाकर, सर्वश्रेष्ठ जिलों हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रेकिंग की जाकर सिविल सर्विस दिवस पर दिनांक 21.04.2023 को सम्मानित किया जावेगा।

अतः उक्त क्रम में शहरों के सौन्दर्यकरण हेतु दिनांक 01.02.2023 से 31.03.2023 तक कराये गये कार्यों की पी.पी.टी. इस विभाग को ई-मेल (IRGYURBAN.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN) पर शीघ्र ही आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/695-950

दिनांक: 30.01.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, समस्त संभागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान को निर्देशित किया जाता संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक के साथ समन्वय कार्ययोजना तैयार कराने बाबत।
5. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका -----
6. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव